भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2251

जिसका उत्तर सोमवार, 9 दिसंबर, 2024/ 18 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

बैंक कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा

2251. श्री सुब्बारायण के.:

श्री सेल्वाराज वी.:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को कर्मचारियों और अधिकारियों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करने और मानकों से नीचे पाए जाने वाले कर्मचारियों को समय से पहले सेवानिवृत्त करने का निर्देश दिया गया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन का निर्णय करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) क्या द्विपक्षीय समझौतों में कर्मचारियों के कम कार्य-निष्पादन के मुद्दे का समाधान करने के लिए पर्याप्त उपाय मौजूद नहीं हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) बोर्ड अभिशासित वाणिज्यिक संस्थाएं हैं और उनके कर्मचारियों की सेवा शर्तें उनके संबंधित सेवा विनियम/द्विपक्षीय समझौते से अभिशासित होते हैं। जिसमे कर्मचारियों की समीक्षा संबंधी उपबंध पहले से मौजूद हैं और पीएसबी के अनुसार, समीक्षा करते समय विभिन्न मानदंडों, जैसे सेवा प्रोफाइल, स्वास्थ्य की स्थिति, मुख्य दायित्व क्षेत्र, वार्षिक कार्य-निष्पादन रिपोर्टें, सतर्कता संबंधी कार्यवाही, अवकाश संबंधी अभिलेख आदि को ध्यान में रखा जाता है।

वित्तीय सेवाएं विभाग ने दिनांक 26.09.2024 के पत्र सं. 4/1/22/2015-आईआर के माध्यम से पीएसबी को मौजूदा उपबंधों के आधार पर तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपी एंड टी) के दिनांक 28.08.2020 के कार्यालय ज्ञापन सं. 25013/03/2017-स्थापना.ए-IV, जो कि जनहित में कर्मचारियों की आवधिक समीक्षा के संबंध में है और जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यों के निपटान में दक्षता, मितव्ययता और गति प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करना है, में निर्धारित समय-सारणी के अनुसार अपने कर्मचारियों की आवधिक समीक्षा करने की सलाह दी है।

*****